फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना जहानगंज

दिनांक :- 10.10.2024

थाना जहानगंज पुलिस/एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS में नामजद/वांछित 06 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0-199/24 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस/एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज, जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित 06 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. उवैश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर।
2. उमर मोहम्मद पुत्र बादशाह निवासी ग्राम दाबलपुर थाना कांठ जनपद शाहजहांपुर।
3. कौशर अली पुत्र तुराब खां निवासी ग्राम ठिरिया निजामत खां थाना कैंट जनपद बरेली।
4. धर्मेन्द्र पुत्र हरदयाल निवासी मुरहास पट्टी खुर्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
5. कप्तान पुत्र मेवाराम निवासी मुरहास पट्टी खुर्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
6. गोविन्द पुत्र विनोद निवासी मुरहास पट्टी खुर्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 09.10.2024 की रात्रि को प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल मय हमराही हे0का0 सुनील कुमार व का0 सोनू समय करीब 00:10 बजे ग्राम जैतपुर के पास पहुँचे जहाँ पर एक कन्टेनर बन्द बाडी वाहन सं0 UP21 CT 0922 में 25 राशि बैल लदे हुये थे। उक्त प्रकरण में तत्काल वादी उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल चौकी प्रभारी राजपूताना की तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1.उवैश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर, 2.उमर मोहम्मद पुत्र बादशाह निवासी ग्राम दाबलपुर थाना कांठ जनपद शाहजहांपुर, 3.कौशर अली पुत्र तुराब खां निवासी ग्राम ठिरिया निजामत खां थाना कैंट जिला बरेली, 4.धर्मेन्द्र पुत्र हरदयाल, 5.कप्तान पुत्र मेवाराम, 6.गोविन्द पुत्र विनोद निवासीगण मुरहास पट्टी खुर्द कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ प्रकाश में आये। मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्गणों की गिरफ्तारी हेतु थाना जहानगंज द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। ग्राम बर्ना खुर्द के पास दबिश के दौरान उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस मुठभेड में अभियुक्त उवैश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिये सीएचसी कमालगंज भेजा गया है। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त उवैश पुत्र सलीम का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त उमर मोहम्मद पुत्र बादशाह का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त कौशर अली पुत्र तुराब खां का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 196/24 धारा 281/324(4) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

2.मु0अ0सं0 197/24 धारा 281/324(4) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

3.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र हरदयाल का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त कप्तान पुत्र मेवाराम का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त गोविन्द पुत्र विनोद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ ।

बरामदगी का विवरण-

अभि0 उमर व उवैश उपरोक्त के कब्जे से

1. 02 अवैध तमंचे 315 बोर,
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर,
3. 01 मिस कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र पटेल थानाध्यक्ष जहानगंज
2. उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल (चौकी प्रभारी राजपूताना)

3. उ0नि0 श्री रामबाबू
4. हे0का0 सुनील कुमार
5. हे0का0 विनय कुमार
6. का0 सोनू सिंह
7. का0 अमित कुमार
8. का0 आशीष वर्मा
9. का0 धीरेन्द्र सिंह
10. का0 संजीव कुमार
11. का0 सुनील कुमार
12. का0 मंजीत सिंह

गिरफ्तार/बरामद करने वाली एसओजी पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री सचिन चौधरी
2. उ0नि0 श्री राजेश राय
3. हे0का0 चन्द्रशेखर
4. हे0का0 गजराज सिंह
5. हे0का0 बलवीर सिंह
6. का0 प्रिंस युवराज
7. का0 दिव्याशुं
8. का0 विकास कुमार

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 विशेष कुमार
2. हे0का0 संजीव राव
3. हे0का0 करन यादव

(मीडिया सेल फतेहगढ़)

मिशन शक्ति अभियान फेज -05

जनपद-फतेहगढ़

मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद फतेहगढ़ पर आयी दिव्यांग महिला की समस्या को प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्यालय के बाहर आकर सुना गया व समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1930 साइबर हेल्पलाइन

1090 वीमेन पॉवर लाइन

108 एम्बुलेंस सेवा

102 स्वास्थ्य सेवा

181 महिला हेल्पलाइन

1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

112 पुलिस आपातकालीन सेवा

1098 चाइल्ड लाइन

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 10.10.2024

थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं-0234/2024 धारा -103(1)/123/238 बीएनएस में प्रकाश मे आई अभियुक्ता को कीटनाशक विषैला पदार्थ सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/2024 धारा -103(1)/123/238 बीएनएस में प्रकाश मे आई अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. कुन्ती पत्नी धीरेन्द्र उर्फ पम्मी निवासी – ग्राम रामनगर थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 08.10.2024 को श्री धनपाल पुत्र राम लाल निवासी रामनगर पुठरी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा उसके नाती आसू उम्र लगभग 4 वर्ष को पेप्सी का लालच देकर जहरीला कीटनाशक पदार्थ पिला कर शव को खडहर मे फेंक देने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दी गयी। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मु0अ0सं-234/2024 धारा -103(1)/123/238 बीएनएस बनाम 1. जूली पुत्री परशराम 2. सुरजीत पुत्र परशराम निवासीगण ग्राम रामनगर थाना नवाबगंज के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में कुन्ती पत्नी धीरेन्द्र उर्फ पम्मी निवासी ग्राम रामनगर थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश मे आया। जिसके क्रम मे आज दिनांक 10.10.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग मे प्रकाश मे आई अभियुक्ता कुन्ती उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्ता उपरोक्तः- अभियुक्ता ने दौराने पूछताछ माफी मांगते हुए बताया कि साहब मेरा मृतक आसू के पिता राजू से प्रेम प्रसंग था। मै राजू से बहुत प्यार करती हूं। मेरी राजू से दिन मे कई बार बात होती थी वह 10.09.2024 को केरल नौकरी करने चला गया था। मेरे बार बार बुलाने पर भी वापस नही आ रहा था। फिर मैने उससे कहा कि अगर तुम वापस नही आए तो मै ऐसा काम कर दूगी कि तुम जीवन भर याद कर रोते रहोगे। लेकिन फिर भी राजू नही आया। इसलिए मैने दिनाक-04.10.2024 को राजू के पुत्र आसू उम्र 4 वर्ष को घर मे रखा कीटनाशक पानी मे मिलाकर पिला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। फिर शव को रात्रि मे सुरजीत की छत पर जाकर खडहर मे फेक दिया। जिस कीटनाशक को मैने आसू को पिलाया था। वह मैने आपको बरामद भी करा दिया है। अब मुझे आपसे कुछ नही कहना। जो मुझे सफाई देनी है वह मै अपने वकील के माध्यम से अदालत मे पेश करुंगी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता कुन्ती उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 234/2024 धारा -103(1)/123/238 बीएनएस
2. अन्य थाना जात से जानकारी एकत्र की जा रही है।

बरामद माल का विवरणः- हत्या मे प्रयुक्त शेष 74 ग्राम विषैला कीट नाशक पदार्थ।

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिसः

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिंह
3. मु0आ0 नन्द लाल
4. मु0आ0गणेश शंकर
5. आ0 सौरभ शर्मा
6. म0आ0 देवकी
7. म0आ0 पिंकी

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0- 10.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त आत्माराम पुत्र रामफल निवासी हन्जू नगला थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 15/1999 वाद स0- 718/2007 धारा- 302 भा0द0वि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 10.10.2024 को मा0 न्यायालय ADJ 07 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

- एडीजीसी- श्री संजीव कुमार मिश्रा

- कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सचिन कुमार

- पैरोकार हे0का0 सुभाषचन्द्र

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दिनाँक- 10.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. राजेश पुत्र अर्जुन यादव 2. सुधीर पुत्र शेरसिंह निवासीगण जिराऊ थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद 3. उमेश यादव पुत्र नाहर सिंह निवासी नगला मित्तल थाना बिछवा जनपद मैनपुरी मु0अ0सं0- 480/2003 वाद स0- 222/2004 धारा- 302 भा0द0वि0 थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 10.10.2024 को मा0 न्यायालय ADJ 05 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा दोषसिध्द कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 01-01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➢ एडीजीसी- श्री भानु प्रकाश मिश्र

➢ कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 राजेश कुमार

➢ पैरोकार का0 विवेक कुमार